न्यायालय जिलाकलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील/रसद/08/2020

ताराचन्द पुत्र श्री टीकम सिंह जाति कुशवाह उम्र 55 वर्ष निवासी ग्रांम बहरावली तहसील रुपवास जिला भरतपुर हाल उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत भैंसा तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी,(प्रथम) भरतपुर जरिये पैरोकार रसद

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 12–12–2019 व बाबत प्रकरण संख्या 48/2017, 93/2016, व 70/2019

निर्णय

दिनांक 22–02–2023

अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 12–12–2019 से प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई थी। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 12–12–2019 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी भरतपर से तहत पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस पेश की गई, जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में मुख्य रुप से कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय मनमाने व गलत तरीके से पारित किया है, अपीलान्ट के विरुद्ध मनगढंत एवं बेबुनियाद तथ्यों पर पूर्व में दो प्रकरण 48/17 एवं 96/16 प्रवर्तन अधिकारी रुपवास ने मनमाने तरीके से जांच करते हुये अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसके आधार पर तहत न्यायालय ने मनमाने तरीके से आदेश पारित किया गया, जिसकी अपील श्रीमान के यहॉ की गई जो श्रीमान द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया। उन्ही बिन्दुओं को आधार मानते हुये प्रकरण संख्या 70/19 दर्ज कर यह आलोच्य आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी ने ऑनलाईन वितरण किया उसमें किसी प्रकार का कोई गलत

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

तथ्य समाहित नही है। प्रार्थी अपीलान्ट ने कैरोसीन व गेंहू वितरण में किसी प्रकार की अनियमिता नहीं की है वितरण व स्टॉक रजिस्टर में एक रुपता है। उपभोक्ताओं ने भी लिखित में कैरोसीन व गेंहू प्राप्त होना स्वीकार किया था, तहत न्यायालय ने इन पर कोई गौर नहीं किया है। अपीलान्ट के खिलाफ एक भी उपभोक्ता की शिकायत नहीं है मगर तहत न्यायालय इस पर भी कोई गौर न करते हुये पुनः उन्ही बिन्दुओं को आधार मानते हुये प्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज कर अदेश पारित किया है जो निरस्त करने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में बताया कि अपीलान्ट के खिलाफ तीन प्रकरण तहत न्यायालय में विचाराधीन थे, उक्त तीनों प्रकरणों में एक ही निर्णय से निस्तारण किया जाकर निर्णय किया गया है। पैरोकार रसद का तर्क है कि श्रीमान के रिमान्ड किये गये आदेश की पालना में डीलर को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया है, डीलर के उपस्थित होने के हस्ताक्षर भी किये गये हैं। पैरोकार रसद का कहना है कि तहत न्यायालय ने न्यायहित में डीलर को अपने साक्ष्य सबूत वगे. पेश करने के लिये पर्याप्त मौके दिये गये परन्तु डीलर द्वारा अपने समर्थन में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये हैं डीलर द्वारा कुछ राशनकार्डो की इन्द्राजात के पेजों की फोटो कॉपी पेश की गई है, तहत न्यायालय ने उन पर विचार किया है। श्रीमान अगर इन फोटो कॉपी राशनकार्ड को मान भी लिया जाये तो भी 12 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 205 कि.ग्रांम गेंहू 75.5 लीटर कैरोसीन एवं 28 किलो चीनी का दुरुपयोग साबित होता है जिसकी बाबत डीलर द्वारा कोई जबाब नहीं दिया है। पैरोकार रसद ने हमारा ध्यान विस्तृत जांच रिपोर्ट की ओर आकर्षित करते बताया कि अपीलान्ट डीलर उक्त सामग्री को उपभोक्ताओं को वितरण ना कर बदनीयत से कालाबाजारी के लिये रखा गया है। इस प्रकार तीनों प्रकरणों में डीलर द्वारा कुल 9.45 क्वि. गेहू, 75.5 लीटर कैरोसीन एवं 28 किलो ग्रांम चीनी तथा का दुरुपयोग कर गबन किया जाना स्थापित है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का गहन अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का यह कहना कि प्रार्थी तहत न्यायालय में उपस्थित था, अपीलाधीन आदेश अनुपस्थित दर्ज कर प्रार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है प्रार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नही क्यों कि पत्रावली 70/19 की आर्डरसीट दिनांक 12.12.2019 प्रार्थी के उपस्थिति दर्ज है तथा अपीलान्ट के हस्ताक्षर भी किये हुये हैं, आदेश में टंकण त्रुटि से अनुपस्थित अंकित होने से यह नहीं माना जासकता कि अपीलाधीन आदेश इकतरफा में पारित किया गया हो। तहत पत्रावली में अपीलान्ट डीलर द्वारा जबाब नोटिस जो पेश किया गया है उसमें ग्रांम पंचायत भैंसा के करीब 17 व्यक्तियों उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर भी कराये गये हैं। उक्त जबाब की मद नं. 4 में अंकित किया है कि ".....जो

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

उपरोक्त उपभोक्ताओं के राशनकार्ड लेकर आये है वह अपनी जो राशनकार्ड धारक अपनी शिकायत को वापिस ले रहे हैं। और कोई किसी प्रकार की डीलर के प्रति कोई शिकायत नहीं है.....।" इस कथन से यह तो स्पष्ट है कि इन उपभोक्ताओं ने सामग्री नही मिलने की शिकायत की थी और इन्हें सामग्री नही मिली थी, अब डीलर द्वारा यह प्रकार कथन टाईप कराकर बाद की सोच के तहत पेश किया गया है। तहत पत्रावली में कुछ उपभोक्ताओं के राशनकार्ड की फोटो कापी डीलर द्वारा पेश की गई हैं जिनमें उपभोक्ता ने अंकित किया है कि "डीलर ताराचन्द से राशन नियमित रुप से प्राप्त कर रहा हूँ....।" तहत न्यायालय ने डीलर द्वारा अपने जवाब के साथ प्रस्तुत उपभोक्ताओं की राशनकार्ड फोटो प्रतियॉ पर विधिवत परिक्षण किया जाकर अपना अभिमत अंकित किया है, इस प्रकार डीलर का यह कहना कि उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य राशनकार्ड आदि पर तहत न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया स्वीकार योग्य नही है। पैरोकार रसद के इस कथन पर कि फोटो कॉपी राशनकार्ड को मान भी लिया जाये तो भी 12 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 205 कि.ग्रांम गेंहू 75.5 लीटर कैरोसीन एवं 28 किलो चीनी का दुरुपयोग साबित होता है। अपीलान्ट डीलर द्वारा उक्त अधिक पाई गई सामग्री के बाबत कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है और नाहीं इसकी बावत डीलर द्वारा कोई जबाब दिया है। इस प्रकार अपीलान्ट डीलर द्वारा सामग्री को उपभोक्ताओं को वितरण ना कर बदनीयत से कालाबाजारी के लिये रखा गया है। इस प्रकार तीनों प्रकरणों में डीलर द्वारा कुल 9.45 क्वि. गेहू, 75.5 लीटर कैरोसीन एवं 28 किलो ग्रांम चीनी तथा का दुरुपयोग कर गबन किया जाना स्थापित है। अपीलान्ट डीलर का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (तवरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1.5.6.7.11. व 17 (सी) का स्पष्ट उल्लंघन है जो उक्त आदेश की स्पष्ट अवहेलना है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट डीलर को साक्ष्य सबूत का मौका देकर विधिवत निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काविल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर